मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम
1987

JHALSA

"न्याय सदन"
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
ए. जी. ऑफिस के समीप, डोरंडा, राँची
दूरभाष : 0651-2482392, 2481520 फैक्स : 0651-2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in
(द्वारा जनहित में जारी)

आमुख

हमारे समाज में हर वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं। जिसमें से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। पूर्व में इस वर्ग के स्वास्थ्य के लिए इतनी सुविधाएँ एवं संरक्षण नहीं था। परन्तु जैसे–जैसे चिकित्सा विज्ञान का विस्तार होता गया उसी क्रम में इस वर्ग की समस्याओं का भी समाधान निकलता गया। लेकिन आधुनिक समाज में यह समस्या भी पाई गई कि ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से स्वीकृति और संरक्षण कैसे दिया जाए ? चूंकि यह वर्ग भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और मानव होने के नाते इनके भी अधिकार हैं, तो क्यों न इनके अधिकारों को संरक्षित कर कानूनी संरक्षण एवं चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर इस वर्ग के अधिकारों को रक्षित किया जाए।

इसीलिए सरकार द्वारा **मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987** बनाया गया, इस अधिनियम के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को क्या–क्या सुविधाएँ मिलेंगी, समाज में इस वर्ग के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव आदि गम्भीर विषयों पर विस्तार पूर्वक बताया गया है।

आशा है कि पुस्तिका मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ समान अधिकार एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य सामान्य वर्ग के लोगों में सामूहिक रूप से कानूनी संचेतना का संचार करने एवं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगी।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987

परिभाषाएँ :–

निरीक्षक अधिकारी : राज्य सरकार द्वारा या लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो किसी भी मनोरोग अस्पताल या नर्सिंग होम के निरीक्षण के लिए नियुक्त होगा।

लाइसेंस प्राधिकारीः इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति से अर्थ है।

दिमागी तौर पर बीमार व्यक्ति : ऐसे व्यक्ति से अर्थ है जो किसी मानसिक विकलांगता से पीड़ित है।

मानसिक रूप से बीमार कैदी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधिनियम की धारा 27 द्वारा जिसका किसी मनोरोग अस्पताल और मनोरोग नर्सिंग होम, जेल, सम्प्रेक्षण ग्रह अथवा अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा गया हो।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ – केन्द्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्राधिकरण का गठन स्थापना करेगी।

जो खण्ड 1 के अधीक्षण, निर्देशन और केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन हो।

जिसका कार्य–विनियमन, विकास, दिशा और सहयोग करेगा केन्द्रीय सरकार की मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध या इस अधिनियम के सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरण जो इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हों।

मनोरोग अस्पताल और मनोरोग नर्सिंग होम और केन्द्रीय सरकार के अधीनस्त अन्य मनोरोग स्वास्थ्य सेवा एजेन्सियों (जिसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को रखा जाता है) का पर्यवेक्षण करना।

केन्द्रीय सरकार को अन्य सभी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में सलाह देना।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य आवश्यक कार्यों का निर्वहन करना।

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

जो केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण के अनुरूप कार्य करेगा।

मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम तथा मनोचिकित्सीय अस्पताल मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना और रखरखाव।

केन्द्रीय सरकार भारत के किसी भी भू–भाग पर तथा राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना करेगी तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के प्रवेश, उनके इलाज तथा देखभाल के लिए मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम का रखरखाव करेगी एवं अलग से ऐसे व्यक्तियों को जिनकी आयु –

1. सोलह साल से कम है।
2. ऐसे व्यक्ति जो शराब या नशीले पदार्थ के आदी रहे हैं
3. ऐसे व्यक्ति जो किसी अपराध के दोषी है, तथा
4. ऐसे व्यक्ति जिनको किसी अन्य श्रेणी में निर्धारित किया जा सकता है।

   के लिए अलग से मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना करेगी और उनकी देखभाल तथा रखरखाव करेगी।

मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना तथा रखरखाव के लिए लाइसेंस –

इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति किसी मनोचिकित्सीय

अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना तथा देखभाल नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास इसके लिए वैध लाइसेंस नहीं हो।

मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम और मानसिक रोगियों के आने का निरीक्षण –

निरीक्षण अधिकारी किसी भी समय किसी भी मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम का निरीक्षण कर सकता है तथा वहाँ पर रखे रिकार्डों/अभिलेखों की जाँच कर सकता है कि वह रिकार्ड नियमों के अनुसार रखे हैं या नहीं तथा निरीक्षण अधिकारी किसी भी मरीज से बात कर सकता है तथा.

किसी भी मरीज की ओर से किए गए इलाज और देखभाल से सम्बन्धित शिकायत तथा किसी भी मामले में जहाँ निरीक्षण अधिकारी को लगता है कि किसी मरीज को उचित इलाज या देखभाल प्राप्त नहीं है।

आउट या बाहरी मरीज का उपचार –

मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में मनोरोगियों के इलाज के लिए सभी सुविधओं के लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए, जहाँ पर मरीज को भर्ती नहीं किया जा सकता तथा मरीज के रूप में उसकी इलाज नहीं चल रहा है।

मनोचिकित्सीय अस्तपताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में प्रवेश तथा रखना –

स्वैच्छिक रोगी के रूप में प्रवेश के लिए अनुरोध –

कोई व्यक्ति (जो बच्चा नहीं हो), जो खुद को मानसिक रोगी समझता है तथा जो किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में भर्ती हो कर इलाज कराना चाहता है, प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी से स्वैच्छिक रोगी के रूप में भर्ती होने के लिए अनुरोध कर सकता है।

अभिभावक द्वारा एक वार्ड (जो बच्चा हो) के रूप में प्रवेश के लिए अनुरोध –

जहाँ पर किसी बच्चे का अभिभावक किसी बच्चे को मानसिक रोगी समझता है तथा बच्चे को इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में भर्ती करना चाहता है, तो वह प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी से बच्चे को स्वैच्छिक रोगी के रूप में भर्ती करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

स्वैच्छिक रोगी के प्रवेश तथा विनियमन के सम्बन्ध में –

अधिनियम की धारा 15 तथा 16 में किए गए अनुरोध के आधार पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ऐसी जाँच करेगा जो वह उचित समझें (जो 24 घण्टे के भीतर) करेगी, और संतुष्ट होता है कि आवेदक या बच्चे को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में

भर्ती कर इलाज की आवश्यकता है तो वह आवेदक या बच्चे को स्वैच्छिक रोगी के रूप में भर्ती करेगा।

प्रत्येक स्वैच्छिक रोगी, जो किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल तथा मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में भर्ती किया जाता है वह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने को बाध्य होगा।

स्वैच्छिक रोगियों का निर्वहन –

मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम का प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी –

1. किसी स्वैच्छिक रोगी द्वारा, और
2. बच्चे के अभिभावक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आवेदन के 24 घण्टे के भीतर, रोगी को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम से छुट्टी करेगा।

कुछ विशेष परिस्थितियों में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का प्रवेश –

कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करने में असमर्थ हो, उसके किसी रिश्तेदार या मित्र द्वारा रोगी को किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में रखने के सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को आवेदन किया जाता है और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संतुष्ट होता है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में रखना रोगी के हित में है, तो वह रोगी को इलाज के लिए भर्ती कर सकता है।

ऐसे किसी भी व्यक्ति को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में 90 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता जब तक कि अधिनियम के अन्य प्रावधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देते।

इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तावित प्रारूप तथा दो चिकित्सीय अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए जिसमें एक सरकारी चिकित्सक हो।

कोई मानसिक रोगी जो उप खण्ड 1 के प्रावधान के अनुसार भर्ती किया जाता है, उसके रिश्तेदार या मित्र मजिस्ट्रेट को रोगी की छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसके आवेदन पर रोगी को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था।

तथा इस सम्बन्ध में जाँच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आवेदन को खारिज या स्वीकार कर सकता है।

स्वागत आदेश के लिए आवेदन –

1. मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम के प्रभारी चिकित्सक, या

2. मानसिक रोगी के पति या पत्नी और अन्य किसी रिश्तेदार द्वारा स्वागत आदेश के लिए आवेदन किया जा सकता है।

किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम का प्रभारी चिकित्सक जहाँ पर एक अस्थाई इलाज के आदेश के तहत इलाज चल रहा है, संतुष्ट है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति इस प्रकृति और डिग्री के रोग से पीड़ित है कि उसे मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में 6 महीने से अधिक रखना आवश्यक है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के हित में रोगी को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में रखना आवश्यक है।

यदि प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी मजिस्ट्रेट को जिसके क्षेत्राधिकार में मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम स्थित हो, रोगी को स्वागत आदेश के तहत मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में रखने कि लिए आवेदन करेगा।

इस अधिनियम की धारा के उपखण्ड 5 के प्रावधानों के अधीन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पति या पत्नी, और यदि पति या पत्नी नहीं है या अन्य किसी कारण आवेदन करने में असमर्थ है तो अन्य कोई रिश्तेदार मजिस्ट्रेट को जिसके क्षेत्राधिकार में मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम स्थित हो, रोगी को स्वागत आदेश के तहत मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में रखने के लिए आवदेन कर सकता है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ –

प्रत्येक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का –

यदि कोई व्यक्ति थाने के अधिकारी के क्षेत्राधिकार में घूमते हुए पाया जाता

है और पुलिस अधिकारी को यह विश्वास होता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है या अपनी देखभाल करने में अक्षम है तो ऐसे व्यक्ति को संरक्षण में लेना।

ऐसे व्यक्ति को संरक्षण में लेना या सुरक्षा की व्यवस्था करना यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि मानसिक रोग के कारण यह व्यक्ति अन्य लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।

पुलिस अधिकारी द्वारा संरक्षण में लिए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी उसको संरक्षण में लेने का कारण सूचित करेगा और यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि वह व्यक्ति मानसिक रोग के कारण बिना किसी रिश्तेदार या मित्र के संरक्षण में लेने के कारण को समझने में असमर्थ हो तो उनको वह संरक्षण में लेने के आधार को बताएगा।

पुलिस अधिकारी द्वारा संरक्षण में लिए गए ऐसे व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसको हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया –

यदि किसी व्यक्ति को धारा 23 के उपबन्ध 3 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट को आगे की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त आधार लगता है तो मजिस्ट्रेट – उस व्यक्ति की समझने की क्षमता की जाँच करेगा।

उसकी चिकित्सीय अधिकारी से जाँच कराएगा।

उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अन्य जरूरी जाँच कराएगा जो वह उचित समझे।

तब प्रक्रिया के समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में रखने के लिए आदेश देगा। यदि चिकित्सीय अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि यह व्यक्ति

मानसिक रोगी है, और मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि यह व्यक्ति मानसिक रोगी है तथा उस व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा उसकी व्यक्तिगज सुरक्षा तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है ऐसा आदेश पारित कर सकता है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को या उचित देखभाल और नियंत्रण नहीं मिलने से सम्बन्धित आदेश –

पुलिस थाने के अधिकारी का यह कर्तव्य है कि यदि उसके थाना क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और उसे उचित देखभाल नहीं मिल रही है व नियंत्रण में नहीं है तथा किसी व्यक्ति जो देखभाल के लिए जिम्मेदार है मानसिक रोगी के साथ बुरा बर्ताव व उचित देखभाल नहीं करता है तो वह पुलिस अधिकारी इस बात की जानकारी से क्षेत्र के सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को अवगत कराएगा।

यदि किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और उसको देखभाल व नियंत्रण नहीं मिल रहा है तथा ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जिम्मेदार है, मानसिक रोगी के साथ बुरा बर्ताव व उचित देखभाल न करता हो तो वह व्यक्ति भी इस सम्बन्ध में स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा सूचित करने पर ऐसा लगता है कि किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को उचित देखभाल व नियंत्रण नहीं मिल रहा तथा रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ अच्छा बर्ताव व उचित देखभाल नहीं की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट मानसिक रोगी को अपने समक्ष पेश करने तथा उसके रिश्तेदारों को सम्मन कर अपने समक्ष पेश होने का आदेश दे सकता है।

यदि वह रिश्तेदार कानूनी रूप से मानसिक रोगी की देखभाल करने को जिम्मेदार हैं और जान बूझकर उसकी देखभाल नहीं करता तो मजिस्ट्रेट

द्वारा उसको 2000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

निरीक्षण, मुक्त करना, छुट्टी, अनुपस्थित रहने की इजाजत और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को हटाना –

निरीक्षकों की नियुक्ति –

राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम के निरीक्षण के लिए कम से कम 5 निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी, जिसमें कम से कम एक चिकित्सा अधिकारी जो मनोचिकित्सक हो तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए।

राज्य सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख अधिकारी या उनके द्वारा नामित मनोचिकित्सा अधिकारी राज्य के समस्त मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम का निरीक्षक होगा।

निरीक्षकों द्वारा मासिक निरीक्षण – कम से कम तीन निरीक्षक हर महीने संयुक्त रूप से सभी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम के हर भाग का निरीक्षण करेंगे तथा वहाँ पर स्वैच्छिक रूप से भर्ती तथा अन्य मानसिक रोगियों का हर स्तर पर निरीक्षण करके मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम के प्रबन्ध व्यवस्था तथा मरीजों की स्थिति के सन्दर्भ में अपने सुझाव, निरीक्षण पुस्तिका में दर्ज करेंगे।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुक्त करना –

मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम के प्रभारी चिकित्सक के द्वारा दो चिकित्सकों, जिसमें एक मनोचिकित्सक हो, उसकी संस्तुति करने पर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति (स्वैच्छिक रूप से मनोरोगी के अलावा) को मुक्त करने का आदेश पारित कर सकता है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आवेदन करने पर मुक्त करना –

मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में बन्द मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर प्रभारी चिकित्सक द्वारा मुक्त किया जा सकता है यदि प्रभारी चिकित्सक को लगता है कि वह व्यक्ति और लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रिश्तेदार या मित्र द्वारा उसकी उचित देखभाल करने के लिए वचन देने पर मुक्त करना –

मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में बन्द मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार द्वारा उसकी उचित देखभाल करने के वचन देने पर प्रभारी चिकित्सक द्वारा उसको मुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के द्वारा मुक्त करने के आवेदन पर– प्रत्येक मनोरोगी व्यक्ति (मानसिक रोगी कैदी को छोड़कर) जो इस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश द्वारा रखा गया है, उसको लगता है कि वह मनोरोग से मुक्त हो गया है, वह मजिस्ट्रेट को अपने को मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम से मुक्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

ऐसे आवेदन के साथ मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम जहां उसका इलाज हो रहा है, उसके प्रभारी चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है।

मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे मनोरोगी को मुक्त करने का आदेश या उसके आवेदन को निरस्त कर सकता है।

न्यायिक जांच के उपरान्त मानसिक रूप से स्वस्थ पाए गए व्यक्ति को मुक्त करना –

यदि कोई मनोरोगी जो किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में बन्द है तथा न्यायिक जांच करने पर ठीक और मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाता है तथा वह अपनी देखभाल करने में सक्षम है तो चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट जो जिला न्यायालय से प्रमाणित हो, उसके आधार पर उस व्यक्ति को मुक्त कर सकता है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सम्पत्ति रखने, व्यक्ति की संरक्षकता तथा सम्पत्ति के प्रबन्धन के बारे में न्यायिक धर्माधिकरण –

न्यायिक जांच के लिए आवेदन –

यदि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के पास कोई सम्पत्ति है तो उस व्यक्ति की मानसिक जाँच के लिए –

उसके रिश्तेदार द्वारा, अथवा

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त **क्यूरेटर,** या

किसी अधिवक्ता द्वारा,

या जिलाधिकारी द्वारा

कथित मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की न्यायिक जांच के लिए उस क्षेत्र के जिला न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन के पश्चात जिला न्यायालय कथित रूप से मानसिक रोगी को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने तथा कथित मानसिक रोगी के संरक्षक को रोगी को न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश जारी कर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की जांच करेगा या किसी अन्य से उसकी जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश देगा।

जांच के बाद जिला न्यायालय अपनी रिपोर्ट दर्ज करेगा कि –

कथित रूप से बीमार व्यक्ति वास्तव में बीमार है या नहीं, और

वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, और वह अपनी देखभाल करने तथा अपनी सम्पत्ति के प्रबन्धन में असमर्थ है या केवल अपनी सम्पत्ति की देखभाल करने में असमर्थ है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए, और सम्पत्ति के प्रबन्धन के लिए प्रबन्धक नियुक्त करने के लिए प्रावधान –

जब जिला न्यायालय अपनी जांच में यह पाता है कि कथित व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और वह अपनी तथा अपनी सम्पत्ति की देखभाल और प्रबन्धन में असमर्थ है तो न्यायालय कथित मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल तथा उसकी सम्पत्ति के प्रबन्धन के लिए प्रबन्धक नियुक्त कर सकता है।

अभिभावक और प्रबन्धक के कर्तव्य –

इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का अभिभावक या उसकी सम्पत्ति का प्रबन्धक नियुक्त किया जाता है तो वह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल, सम्पत्ति का रखरखाव तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के परिवार और ऐसे व्यक्ति जो उस पर निर्भर है उसकी देखभाल का कर्तव्य निभाएगा।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण–

मानवाधिकारों का हनन किए बिना मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का उपचार – मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को उपचार के दौरान किसी भी प्रकार के अपमान (शारीरिक या मानसिक) या क्रूरता पूर्ण बर्ताव नहीं किया जाएगा।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को उपचार के दौरान किसी प्रकार के अनुसंधान के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि –

ऐसा अनुसंधान उसके प्रत्यक्ष लाभ या उसके उपचार या निदान के लिए न हो या

ऐसे व्यक्ति जो स्वैच्छिक रोगी हों और उसने लिखित में अपनी सहमति दी हो या ऐसा व्यक्ति जो (स्वैच्छिक रोगी है या नहीं) अपनी सहमति देने में अवयस्क होने के कारण या अन्य कारणों से असमर्थ हो, उसका अभिभावक या अन्य व्यक्ति जो सहमति देने में सक्षम हो, ऐसे अनुसंधान के लिए लिखित रूप में अपनी सहमति दे।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना या रखरखाव करने के लिए दण्ड –

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम की स्थापना या उसका रखरखाव करता है तो उसे तीन महीने की जेल या 200 रूपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है और यदि वह व्यक्ति दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 1000 रूपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

कोई व्यक्ति जो किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय नर्सिंग होम में इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी मानसिक रोग से बीमार व्यक्ति को भर्ती करता है, बन्दी रखता है तो उसको ऐसी सजा जो अधिकतम 2 साल तक की जेल या 1000 रूपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

अन्य अपराधों के लिए सजा – सामान्य प्रावधान –

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों या अन्य विनिमय का

उल्लंघन करता है और जिसके बारे में इस अधिनियम में विशेष तौर पर सजा निर्धारित की गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की जेल या 500 रूपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को कानूनी सहायता –

जब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति किसी जिला न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही में पेश होता है और न्यायालय संतुष्ट हो कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति किसी वकील की सहायता लेने में असमर्थ है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के लिए एक वकील की सेवाएँ प्रदान करने का आदेश पारित कर सकता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

❖❖❖

माननीय न्यायमूर्ति **श्री अल्तमस कबीर**, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, नालसा, मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सी०आई०पी०, राँची में मनोरोगियों से मिलते हुए

माननीय न्यायमूर्ति **श्री आर.के. मेरठिया** एवं माननीय न्यायमूर्ति **श्री डी.एन. पटेल**, न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रिनपास राँची में केरल राज्य से लाए गए 19 मनोरोगियों के साथ